अनवान रामेश्वरी व अन्य बनाम मंगलाराम व अन्य
वाद पत्र संख्या 033/2023

28.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। रामेश्वरी पत्नी सही राम जाति बावरी निवासी ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त अनवानी प्रकरण में प्रतिवादी मंगलाराम का स्वर्गवास हो गया है। जिसके जायज वारिस उसके लडके गोविन्दराम, हनुमान, सहीराम एवं लडकी मोहरां देवी है। गोविन्द राम का भी स्वर्गवास हो गया है। हनुमान का भी स्वर्गवास हो गया है। मृतक हनुमान के जायज वारिस मनीदेवी पत्नी, हरीराम, राजाराम, अमींलाल, राधा दवी है तथा सहीराम का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिस रामेश्वरी पत्नी, भैराराम, पवन कुमार एवं मन्जु लड़की है इसके अलावा और कोई वारिस नहीं है। सहीराम के वारिस वादीगण संख्या 01 ता 03 एवं प्रतिवादी संख्या 17 पूर्व में ही रिकॉर्ड पर है तथा गोविन्दराम का एक लड़का बलराम है जिसका नाम दर्ज किया जावे। अमीलाल पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 19 है तथा मंगलाराम की लड़की मोहरा देवी पत्नी मनफुल है। अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि मृतक मंगलाराम के स्थान पर बलराम पुत्र गोविन्दराम तथा हनुमान पुत्र मंगलाराम के वारिसान मनी देवी, हरीराम, राजाराम व राधा देवी तथा अमीलाल जो पूर्व में ही पक्षकार है तथा मोहरा देवी पुत्री मंगलाराम पत्नी मनफुल के नाम मृतक मंगलाराम के स्थान पर दर्ज किया जाने का आदेश दिया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी में कथन किये गये कि प्रतिवादी मंगला राम का स्वर्गवास कब हुआ, कहां हुआ आवेदन पत्र में अंकित नही है, बिना तारीख मृत्यु के कायम मुकाम का आवेदन पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। आवेदन पत्र काबिले खारिजी है। मंगलराम की मृत्यु दिनांक 11.12.2023 को हुई है, जिसकी जानकारी मेरे पक्षकार द्वारा दी गई। आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2024 को दिया गया है। प्रार्थना पत्र में मृत्यु दिनांक का अंकन नहीं है जबकि दिनांक 11.12.2023 से 90 दिन के अन्दर पक्षकार बनाया जाना जरूरी था। भारतीय लिमिटिशन एक्ट का आर्टिकल 120 व 121 में इसकी अवधि दी हुई है। अगर 90 दिन के अन्दर कोई पक्षकार के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का आवेदन पत्र नहीं दिया तो वो प्रकरण स्वतः ही अबेट हो जाता है। उसके बाद ओदश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं होता है। प्रार्थी को पहले अबेटमेंट को निरस्त करवाने के लिए आदेश 22 नियम 9 में आवेदन पत्र देना पड़ता है और अबेटमेंट को निरस्त करवाकर फिर ही उसके वारिसान को कायम मुकाम बनाये जा सकते हैं, इसलिए प्रार्थी द्वारा आदेश 22 नियम 9 का आवेदन पत्र नहीं दिया गया, इसलिए आवेदन पत्र मेन्टेबल नहीं होने के कारण काबिले खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ओदश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को अबेटमेंट के आधार पर दाखिल दफतर किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 11.12.2023 को हो चुकी है एवं उसके वारिसान हनुमान पुत्र मंगलाराम, गोविन्दराम पुत्र मंगलाराम एवं सहीराम पुत्र मंगलाराम एवं मोहरादेवी पुत्री मंगलाराम है जिसमें से हनुमान, गोविन्दराम एवं सहीराम मृतक है जिनके जायज वारिस वादीगण संख्या 01 ता 03, प्रतिवादी संख्या 17 एवं प्रतिवादी संख्या 19 के रूप में वाद में पक्षकार है एवं शेष वारिस बलराम पुत्र गोविन्दराम, मृतक हनुमान पुत्र मंगलाराम के वारिसान मनीदेवी, हरीराम, राजाराम व राधादेवी, मोहरादेवी पुत्री मंगलाराम को पूर्व में वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:10 IST
Reason: SelfAttested

धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं उक्तानुसार बलराम पुत्र गोविन्दराम, मृतक हनुमान पुत्र मंगलाराम के वारिसान मनीदेवी, हरीराम, राजाराम व राधादेवी मोहरादेवी पुत्री मंगलाराम को प्रतिवादी संख्या 20 ता 25 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:17:10 IST
Reason: SelfAttested